

(737)

श्री मनोज विश्वास, माननीय स०वि०स० से प्राप्त  
तारांकित प्रश्न सं०-18/2/737 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज विधान सभा में परवान नदी का तटबंध कमजोर होने के कारण बरसात के समय में, बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न व आवास पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से ग्रामीण जनता को भारी नुकसान होता है, यदि हां, तो क्या सरकार परवान नदी के बाढ़ से निदान हेतु नदी उडाही करवा के तटबंध निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड अन्तर्गत परमान नदी प्रवाहित होती है, जिसके दाँये तट पर 2.70 कि०मी० की लंबाई में पीपराघाट जमींदारी बाँध निर्मित है। विगत वर्षों में यह जमींदारी बांध सुरक्षित रहा है एवं वर्तमान में भी सुरक्षित है।</p> <p>परमान नदी के तल की गहराई एन०एस०एल० से औसतन तीन मीटर है। बाढ़ अवधि के दौरान अत्यधिक वर्षापात की स्थिति में नदी का पानी अल्प अवधि के लिए एन०एस०एल० पर फैलता है। जलस्तर में कमी होने पर पानी स्वतः नदी में वापस चला जाता है। वर्तमान स्थलीय परिप्रेक्ष्य में परमान नदी के तल के उडाही की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>परमान नदी पर तटबंध निर्माण कार्य का विस्तृत योजना प्रतिवेदन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार को तकनीकी अप्रेजल हेतु समर्पित है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से तकनीकी एप्रेजल प्राप्त होने पर इसे जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित किया जायेगा।</p>

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-16/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/737 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-16/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-16/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-16/2026-

915

पटना, दिनांक- 20/02/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनिल कुमार गुप्ता  
19/02/26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

19/02/26